



न्यायालय पाननीय राजस्व बहुदल पंचपूर्णि, राजा लिंगर

प्रकाशन क्रमांक १२०१६ रेस्टोरेशन (विविध)

२०३ वालमीक घर ४५८ ललना पर ३०३

~~253~~ \_\_\_\_\_ ~~253~~

## ਮਿਥਾਸੀ ਗੁਰਾਮ ਲੱਭਾ ਪ੍ਰੇਰ ਤੇਵਾਂਦੀਲ - ਮਿਤੀਗੰਧ,

किंतु रीवा-पथपैश एव अस्य ।

— प्राचीन

३८५

## शेष बणिवर पुन्न रामानुजवर,

ਨਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਢਕਾ ਪੂਰ, ਤੇਛਸੀਲ-ਪਤਾਗਿ,

जिला रीवा-मध्यप्रदेश सर्व अन्य ।

— पुस्तिप्रार्थीगण

पुनरास्थापन आवेदन-पत्र स्तंगति नियम ३२-ए, भारा ६ पर्युक्त  
मू-राज्य संस्कृता ६६५६। प्र०३० ६०~~८~~<sup>२०५</sup> ली। १०८ निराननी  
आदेश दिनांक

ਸੀਮਾਨ ਬੀ,

पुनरास्थापन आवेदन पत्र नियम काखारी पर

### **प्रस्तुति हः -**

१- यह कि, उपराक्त प्रकारण में निवेदन है कि निराशी प्रकारण में पैशी विनाक अद्वैतियत थी।

२- यह कि, नियत विनाकि अध्यक्षीय प्रकरण वसूर्ण हीने से आगामी सारीसं पैशी नियत होना चाहा। उद्देश्यात्मक

३- यह कि, नियत दिनांक की उपलब्ध पढ़ाई का वर्ष प्रकरण में नियुक्त बोधिमाणक एवं विद्य की अनुपस्थिति वे प्रकरण वर्षम् पैरवी में निरहस्त ही गया है।

४- यह कि, नियत दिनांक की बोईस्वना प्रारंभिक की न थी।

कुमारः — २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो० 9258-दो/16

जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17.11.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० अवस्थी उपस्थित। उन्हें रेस्टो० आवेदन पर तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता का तर्क था कि प्रकरण में अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ था एवं अधिवक्ता किसी कार्यवस उपस्थित नहीं हुये। अधिवक्ता की अनुपस्थित नहीं होने से निग० प्रकरण क्रमांक 604-दो/01 में अदम पैरवी में निरस्त हो गया था। पुनः प्रकरण नंबर लेने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा निग० 604-दो/01 पुनः नंबर पर लिया जाता है। यह रेस्टो० समाप्त कर निराकृत किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p style="text-align: left;"></p>	